"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 564] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1-76/2014/18 (1) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका परिषद बलरामपुर जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	—	निरंक
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	—	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	03	मसीह वार्ड
		02	महात्मा गांधी वार्ड
		08	सुभाष चन्द्र वार्ड
		09	अम्बेडकर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	05	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		10	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	इंदिरा गांधी वार्ड
		01	स्व. रविन्द्र प्रताप सिंह वार्ड
		13	विनोबा भावे वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	07	राजीव गांधी वार्ड
7.	महिला वर्ग	06	चन्द्रशेखर वार्ड
		12	स्व. रंगनाथ सिंह वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र क्रमांक एफ 1–76/2014/18 (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–78/2014/18 (1) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1-76/2014/18 (1) the list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Balrampur distt. Balrampur-Ramanujganj** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	-	NIL
2.	Scheduled Caste (Female)	-	NIL
3.	Scheduled Tribes	03	MASIH WARD
		02	MAHATMA GANDHI WARD
		08	SUBHASH CHANDRA BOSE WARD
		09	AMBEDKAR WARD
4.	Scheduled Tribes (Female)	05	LAL BAHADUR SHAAHTRI WARD
		10	DINDAYAL UPADHYAY WARD
5.	Other Backward Class	04	INDIRA GANDHI WARD
		01	LT. RAVINDRA PRATAP SINGH WARD
		13	VINOBA BHAVE WARD
6.	Other Backward Class (Female)	07	RAJIV GANDHI WARD
7.	Female	06	CHANDRASHEKHARA WARD
		12	LT. RANGNATH SINGH WARD

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–76/2014/18 (2) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत राजपुर जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	14	राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	11	स्वामीर विवेकानन्द वार्ड
		02	संत ज्ञानेश्वर वार्ड
		15	बिरसा मुण्डा वार्ड
		01	गुरूघासी दास वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	03	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
		12	रविदास वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		08	महात्मा गांधी वार्ड
		13	इंदिरा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	09	राजीव गांधी वार्ड
7.	महिला वर्ग	04	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
		06	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–76/2014/18 (2) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–76/2014/18 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–76/2014/18 (2) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Rajpur distt. Balrampur-Ramanujganj** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	**Reservation for Category**	**Ward No.**	**Name of the Wards**
1.	Scheduled Caste	14	RAJENDRA PRASAD WARD
2.	Scheduled Caste (Female)	-	NIL
3.	Scheduled Tribes	11	SWAMI VIVEKANAND WARD
		02	SANT GYANESHWAR WARD
		15	BIRSA MUNDA WARD
		01	GURU GHASIDAS WARD
4.	Scheduled Tribes (Female)	03	CHANDRASHEKHAR WARD
		12	RAVIDAS WARD
5.	Other Backward Class	07	PT. JAWAHAR LAL NEHRU WARD
		08	MAHATMA GANDHI WARD
		13	INDIRA GANDHI WARD
6.	Other Backward Class (Female)	09	RAJIV GANDHI WARD
7.	Female	04	SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD
		06	DR. BHIMRAO AMBEDKAR WARD

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–76/2014/18 (3) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत वाड्रफनगर जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	09	प्रियदर्शनी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	15	सरदार भगत सिंह वार्ड
		12	मदन मोहन मालवीय वार्ड
		06	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	03	रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड
		11	भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	विवेकानन्द वार्ड
		07	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
		14	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	13	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
7.	महिला वर्ग	08	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
		10	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र क्रमांक एफ 1–76/2014/18 (3).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–76/2014/18 (3) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–76/2014/18 (3) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Wadrafnagar distt. Balrampur-Ramanujganj** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	09	PRIYADARSHANI WARD
2.	Scheduled Caste (Female)	-	NIL
3.	Scheduled Tribes	15	SARDAR BHAGAT SINGH WARD
		12	MADAN MOHAN MALVIYA WARD
		06	JAWAHAR LAL NEHRU WARD
4.	Scheduled Tribes (Female)	03	RAVINDRA NATH TAIGORE WARD
		11	BHIMRAO AMBEDKAR WARD
5.	Other Backward Class	04	VIVEKANAND WARD
		07	SUBHASH CHANDRA BOSE WARD
		14	DR. SARVPALLI RADHAKRISHANAN WARD
6.	Other Backward Class (Female)	13	DR. RAJENDRA PRASAD WARD
7.	Female	08	CHANDRASHEKHAR WARD
		10	LAL BAHDUR SHASTRI WARD

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–76/2014/18 (4) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत कुसमी जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	06	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	—	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	04	विनोबा भावे वार्ड
		11	बालगंगाधर तिलक वार्ड
		14	डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड
		15	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	12	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
		13	मदन मोहन मालवीय वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	महात्मा गांधी वार्ड
		03	इंदिरा गांधी वार्ड
		05	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	10	राजीव गांधी वार्ड
7.	महिला वर्ग	02	चन्द्रशेखर वार्ड
		09	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–76/2014/18 (4).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–76/2014/18 (4) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–76/2014/18 (4) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Kusmi distt. Balrampur-Ramanujganj** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	**Reservation for Category**	**Ward No.**	**Name of the Wards**
1.	Scheduled Caste	06	LAL BAHADUR SHASHTRI WARD
2.	Scheduled Caste (Female)	-	NIL
3.	Scheduled Tribes	04	VINOBA BHAVE WARD
		11	BALGANGADHAR TILAK WARD
		14	DR. BHIMRAO AMBEDKAR WARD
		15	DR. RAJENDRA PRASAD WARD
4.	Scheduled Tribes (Female)	12	SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD
		13	MADAN MOHAN MALVIYA WARD
5.	Other Backward Class	01	MAHATMA GANDHI WARD
		03	INDIRA GANDHI WARD
		05	PT. JAWAHAR LAL NEHRU WARD
6.	Other Backward Class (Female)	10	RAJIV GANDHI WARD
7.	Female	02	CHANDRASHEKHAR WARD
		09	SUBHASHCHANDRA BOSE WARD

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–76/2014/18 (5) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत रामानुजगंज जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	05	चन्दशेखर आजाद वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	03	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	जयप्रकाश वार्ड
		13	बालगंगाधर तिलक वार्ड
		14	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	इंदिरा गांधी वार्ड
7.	महिला वर्ग	02	महात्मा गांधी वार्ड
		15	मदन मोहन मालवीय वार्ड
		09	विवेकानन्द वार्ड
		06	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–76/2014/18 (5) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–76/2014/18 (5) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1-76/2014/18 (5) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Ramanujganj distt. Balrampur-Ramanujganj** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	05	CHANDRASHEKHAR AZAD WARD
2.	Scheduled Caste (Female)	-	NIL
3.	Scheduled Tribes	03	LAL BAHADUR SHASHTRI WARD
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	NIL
5.	Other Backward Class	07	JAIPRAKASH WARD
		13	BALGANGADHAR TILAK WARD
		14	RAVINDRANATH TAIGORE WARD
6.	Other Backward Class (Female)	11	INDIRA GANDHI WARD
7.	Female	02	MAHATMA GANDHI WARD
		15	MADAN MOHAN MALVIYA WARD
		09	VIVEKANAND WARD
		06	SUBHASHCHANDRA BOSE WARD

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.